दूरभाष Telephone: 011-22126504 फैक्स Fax: 011 22125701



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)/ Regional Office, Delhi (East) डी.एस.आई.आई.डी.सी., फैसीलिटी सेंटर, फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स, झिलमिल दिल्ली-110095 D.S.I.I.D.C., Facility Center, Flatted Factory Complex, Jhilmil, Delhi – 110095

संदर्भःक्षे.का./दिल्ली(पूर्व)प्रशासन/केयरटेकर/भाड़ेपर वाहन/2018

दिनांकः

भाड़े पर वाहन लेने के लिए निविदा स्चना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मीनगर(झिलमिल) मासिक आधार पर भाई पर वाणिज्यक संख्या वाली एक टैक्सी उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत ट्रेवल एजेंसीज से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार), लक्ष्मीनगर(झिलमिल), दिल्ली-110095 के कार्यालयीन उपयोग के लिए मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है।

अपेक्षित वाहन का प्रकारः मारुती सियाज, टोयटा यारिस या इन्नोवा, हुंडई वरना अथवा समतुल्य वाहन नई कार को महता दी जाएगी तथा वांछनीय सफेद रंग। माह में 30 दिन, 2300 किमी तथा 300 घंटे (लगभग) हेतु निविदा दी जानी है। इच्छुक एजेंसियां दिनांक 29.09.2018 को समय 5 बजे(अप.) या इससे पहले अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं तथा निविदा दिनांक 01.10.2018 को 03:00 बजे अपराहन खोली जाएगी।

नियम एवं शर्ते अनुलग्नक- ए, बी, एवं सी में दी गई हैं।

इच्छुक एजेंसियां अपनी निविदा ऊपर दर्शाई गई नियत तिथि को या इससे पहले निम्न पते पर भेज सकती है:-

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) उप- क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मीनगर डी.एस.आई.आई.डी.सी, फ्लैटिड फैक्ट्री कॉम्पलैक्स, फैसीलिटी सेंटर बिल्डिंग, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली- 110095

निविदाकर्ता लिफाफे के ऊपर, "भाई पर वाहन लेने के लिए निविदा" लिखें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व) बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व) का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कृपया यह नोट करें कि निविदा अगर बंद लिफाफे में प्राप्त नहीं होती है अथवा बंद लिफाफे के ऊपर उपरोक्त उपरिलेख नहीं हो तो उसे स्वीकृत/ग्रहण नहीं किया जाएगा।

सहायक भविषयं निधि आयुक्त,प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)

	पिषिषट 'क'	
पंजीकरण संख्या - वाहन का प्रकार - निर्माण का वर्ष - प्रयुक्त ईंध्स -	mer ?	ন্ ৰ
इंजन संख्या - चेसी संख्या -		
होर्स पॉवर	6	
	परिशिष्ट 'ख'	
अवधि ओवर टाइम	प्रतिदिन प्रतिमाह न्यूनतम प्रतिगाह किरा न्यूनतम किलोमीटर प्रशार घंटे	किलोमीटर से अधिक वर्ष
		अतिरिक्त प्रभार
से ह. <u>/-</u> तवा प्रित रात्रि एवं	10 घंटे 2300 किलामीटर रू	रू. प्रति किलोमीटर
कोई ओवर टाइम नहीं	के लिए सभायोज्य	
		4 mm at 1

- वाहन से संबंधित, वाहन चालक/तेल, पेट्रोल/डीजल, बीमा, कर, मरम्मत एयं रखरखाव संबंधी खर्च प्रभार, जिस भी नाम से इन्हें पुकारा जाए, द्वितीय पार्टी द्वारा वहन किया जाएगा।
- 2. चात्रक एवं वाहन, मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के उपबंधों का पूर्णतः पात्नन करेंगे चात्रक पूरा समय वर्दी (सफेद सफारी सूट/सफेद शर्ट-पेंट) अवश्य पहनेंगे । उसकी सेवाएं नियंत्रक अधिकारी की संतुष्टि के अनुरुप होंगी । यदि किसी भी चात्रक को किसी अधिकारी के पास काम पर नहीं लगाया जाएगा ।
- 3. वितीस पार्टी/चालक अधाधुंध हाईविंग/दुर्घटना आदि के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी/ आर्थिस भरपाई के लिए अकेले ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगा ।
- माईलेज की गणना प्रथम पार्टी के कार्यालय से होगी।
- 5. याहन में इंधन अरने, मरम्मत एवं रखरखाव में खर्च होने वाला समय माईलैज में नहीं गिना जाएगा |
- 6. यदि वाहन खराब हो जाए, अथवा सरम्मत हो रहा है अथवा चालक 'अनुपस्थित है अथवा चालक ने शराब पी रखी हो तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पार्टी आधे घंटे के भीतर दूसरा वाहन एवं घाहाक उपलब्ध कराएगी। परन्तु यदि द्वितीय पार्टी ऐसा करने में असफल रहती है अथवा उपलब्ध कराया वाहन/चालक संतोषप्रद नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पार्टी अन्य चालक एवं वाहन किराए पर लेने, इसके लिए प्रभार की वस्ती, दंड स्वरूप रू. 1500/- प्रतिदिन सहित द्वितीय पार्टी से वस्तुन की हकदार होगी।
- 7. बाहुन किराए पर लेने संबंधी करार की कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को 45 दिन का नोटिस टेकर सुमाप्त कर सकती है।
- 8. वृहिन एवं चालक क्षेत्र/अंचल से बाहरी क्षेत्राधिकार में बाहन चलाने का पात्र एवं इंच्छुक होना चाहिए ।
- द्वितीय पार्टी द्वारा दिए गए मासिक विलों के आधार पर किराए के प्रणार को अकांउट पेथी चैक के साध्यम से आयकर अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत सोत पर कर काटकर भुगतान किया जाएगा ।
- 10. देश फिराए के प्रभार की गणना के उद्देश्य से हितीय पार्टी द्वारा लॉग बुक उपलब्ध कराई जाएगी । लॉग बुक का प्रारूप ठीक वैसा होगा जैसा कि केन्द्र सरकार/क.श.नि. विभाग द्वारा अपने कार्याल्यी वाहनों हेतु प्रयोग में लाया जाता है । लॉग बुक का रखरखाव द्वितीय पार्टी द्वारा किया जाएगा एवं इसे दैनिक आधार पर पार्टी से स्वयं अथवा इस कार्य हेतु नामित अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराया जाएगा । करार पूर्ण होने के पंश्वात लॉग बुक दितीय पार्टी द्वारा जमा करवाई जाएगी ।

- ा. बाहन/चाराम के रिपोर्ट करने की समय-सीमा का पालन कड़ाई से किया अधिमा एवं आधे घटे से आधिक की देरी के लिए प्रथम पार्टी अन्य चारक्क/बाहन किराए पर लेके, इसके लिए प्रभीर की वस्ती, वंड स्वकृत के 1000/- प्रतिदिन सहित वितीय पार्टी से वस्ताने की हकदार होनी।
- 12. बाहजों की अरङ्ग्रहा एवं रख-रखाव को जितीय पार्टी द्वारा समय पर एवं अधित प्रकार से म करने को मामलों में प्रभूत पार्टी की अधिकार होगा कि बह मरम्मत करवाए एवं देस किराया प्रभार से धन्ताशि की प्रभूती करें । यदि बहुजों को अध्या स्थिति में नहीं रखा जाता है तो किराए संबंधी करों को 15 दिन के पूर्व नोटिस पर सवाब्त कर दिया जाएगा ।
- 13. वाहनी में मंगिनित मुशी रार्थ एवं भाजूनी औपचारिकलाएं हिलाय पार्टी द्वारा घहन एवं पूरी की जाएंगी ।
- 14. मासिक किराया प्रभार में सभी कर, उपकर आदि सिन्मितित क्षेत्रे, यदि इसका प्रातधान अन्यथा • विशिष्ट रूप से म शिया गया हो ।
- 15. हिंतीय पार्टी किराप प्रभार के रूप में 2000 किलोमीटर की दूरों के लिए स. हा सासिक बिल अगाएँ साह की 15 तारीख अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत करेगी एवं तद्नुसार प्रथम पार्टी द्वारा भुगतान किया जाएगा परन्तु वाहन के कुल चलने की गणना करोड़ भभापत होने पर की जाएगी । अतिरिक्षत माईलेज (उपरितिखित सीमा से अधिक) के हिंदू भुगवान रू. पति किलोमीटर के दूर से किया जाएगा ।
- 16. सभी दिवसी हिंदा मिलार्गी एवं बहुत्यों के इयूटी घंटे 08.00 एकं पूर्वहन से 07.00 को अध्याहन लक होंगे । अगितियानिति हिंधनि में चालकों को 24 पंटे को इयूटी ऐतु भी ऐकं जा क्यांता हैं जिसके लिए भीयर क्षाइस की श्रीतान किया जावता । स्वि चालक अञ्चल के नाथ भावता हुन्से .
- 17. करार 01-10 -18 से 31-10%-19 तदा प्राणी रहेता-
- ७ 18. परिशिष्ट 'शा' में दी गई दरों पर प्रथम पार्टी द्वारा दिलीम ार्टी को किए जाने वाले श्रुगतान पर विचार करते हुए दिलीय पार्टी प्रथम पार्टी श्रु परिशिष्ट पर' में पर्जित वास्त निराए पर उपलब्ध पराने हेतु पारस्परिक करार करती हैं ।
- 19. प्रयान कही एसद्धारा द्वितीय प्रार्थी को अधिक प्रभार अंथवी ऐसी स्थि को करार के उपवेधों के अंकुशार क्षेत्र दलती है, के भुगलान करने का पारस्परिक करार १६म प्रार्थी से परिसिष्ट 'क' में विकास करार १६म प्रार्थी से परिसिष्ट 'क' में विकास करार १६म प्रार्थी से परिसिष्ट 'क' में
- 20. जिलीय वार्टी क्या ठेवन मिलने के 15 दिन के भीतर के न्या गांडे (क.भ.नि.) के नाम में वार्षिक वारी के 10% की राशि. की थैक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जो ठेवन संतोषपद रूप से पूरा होने पर लीटा हो जाएगी. 1

2] सभी सानूनी विश	वाद दिल्ली	अधिकार क्षेत्र में होंगे।	
		आयकार क्षत्र म हान ।	
	;		
पहल उपर लिखे राप दिन ए	वं वर्ष को इस करार के.	दो प्रतियों में लागू करने में, पाटि	में के सवाद है।
	, ,		ar ar araile b
		•	
		•	
			·
कृते एवं की ओर से		फृते एवं फे.न्या.बोर्ड, क.	भानि की ओर मे
•			
		,	
हस्ताक्षरित		हस्ताकंरित	
	·	blaidisci	
•			·
			٠
नाम :		नारः :	. :
पता :		पताः:	
गवाह :			
		गवाह :	*
•	J		
	£.		
		· · ·	

दूरभाष Telephone: 011-22126504

फैक्स Fax : 011 22125701



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (पूर्व)/ Regional Office, Delhi (East)

डी.एस.आई.आई.डी.सी., फैसीलिटी सेंटर, फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स, झिलमिल दिल्ली-110095 D.S.I.I.D.C., Facility Center, Flatted Factory Complex, Jhilmil, Delhi — 110095

संदर्भः क्षे.का./दिल्ली(पूर्व)प्रशासन/केयरटेकर/भाड़ेपर वाहन/2018

Dated: 20.09.2018

SHORT NOTICE TENDER FOR HIRING OF VEHICLE

Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Delhi (East) functioning at the above address invites sealed quotation from Registered Travelling Agencies for providing one (01) taxi on monthly hire basis for official purposes of EPFO office (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) for station at Jhilmil, Delhi – 110095.

Type of Car required: Maruti Ciaz, Toyota Yarris or Innova, Hyundai Verna and alike vehicle.

Preference will be given to new car and desirable color is White.

During month:

30 days, 2300 Kms and 300 Hours (Approximately)

Interested parties may submit their quotation on or before 29.09.2018 at 05:00 (P.M.). Quotations will be opened on 01.10.2018 at 03:00 (P.M.).

The Terms & Conditions are furnished at Annexure 'A', 'B' & 'C' attached with tender form.

The interested agencies may send their quotations/bids in a sealed envelope at the following address on or before the due date mentioned above.

Assistant P.F. Commissioner (Admin-II)
Employees' Provident Fund Organisation,
(Ministry of Labour & Employment)
Regional Office, Delhi (East),
DSIIDC Facility Centre Building,
Flatted Factory Complex, Jhilmil Industrial Area,
Delhi – 110095

The envelope containing tender should superscribe 'QUOTATION FOR HIRING OF VEHICLE'. The Employees' Provident Fund Organisation, Regional Office, Delhi (East) reserves the right to reject any tender without assigning any reason and the decision of the Employees' Provident Fund Authorities shall be final and binding on parties. It may please be noted that quotation/bid will not be accepted/entertained if the same is not received in a sealed envelope and the sealed cover does not contain the above superscription. The quotations received after due date and time shall not be entertained. Interested parties may be present at the time of opening of tender.

Assistant P.F. Commissioner (Admin-II)
Regional Office, Delhi (East)

ANNEXURE "A"

Registration No. &	
Make/Moel:	
Vehicle Class:	_
Mfg. Year:	
Fuel used:	
Engine No:	
Chasis No:	
Horse Power:	

ANNEXURE "B"

Duration	Over Time	Min. Hours per day	Min. Kms.Per Month	Hire Charges Per Month	Extra Charges beyond Kms. In Month
Fromto	Rs per night & no over time	10 Hours	2300 Km adjustable for years.	Rs	Rs

- I. All expenses/charges of the driver, oil, petrol/diesel, insurance, taxes repairs and maintenance etc. of the vehicle, by whatever name called will be borne by the second party.
- 2. The driver and the vehicle must comply with all the provisions of the Motor Vehicle Act and other relevant laws. The driver must wear the Uniform (White Safari Suit/ White Shirt-Any driver once removed on instructions of an Officer shall not be employed with any other Officer in the Department.
- 3. The second party/driver will be wholly and solely responsible for and liable to al legal and financial consequences arising out of rash driving/accident etc.
- 4. The mileage will be counted from the office of the first party.
- 5. The mileage and the time consume for fuelling repair and maintenance of the vehicle will be excluded.
- 6. In case the vehicle breaks down or is under repair or the driver is absent, of the driver is found drunken alternative vehicle and driver will be provided by the second party within half-hour. However in case second party fails to do so, or the alternative vehicle/driver is not up to mark, the first party will be entitled to hire another chauffeur-driven vehicle an recover the charges for the same along with penalty @ Rs. 1500/- per day from the second party.
- 7. The vehicle hire agreement can be terminated by either party after serving 45 days advance notice on the other party.
- 8. The vehicle and the driver should eligible/willing to travel outside the territorial jurisdiction of the Region/Zone also.
- 9. On the basis of monthly bills raised by the second party, the hire charges will be paid through account payee cheque after deducting Tax at source as per the Provisions of the Income Tax Act as applicable.
 - 10. For the purpose of calculating hire charges payable, Log Book shall be provided by the second party. Form of the Log Book will be the same as maintained by the Central Government/EPF Department for their official vehicle. The Log Book shall be maintained by the second party & it has to get the same verified on day to day basis from party either himself or through an officer designated by him. After the completion of the contract, the Log Book shall be deposited by the second party.
 - 11. The time limit for reporting of the driver/vehicle should be followed strictly and in the case of delay or more than half an hour, the first party will be entitled to hire another Chauffer driven vehicle and recover the charges payable to the second party, along with penalty of Rs. 1000/- per day of such default.
 - 12. In cases timely and proper maintenance & repairs of the vehicle are not carried out by the second party, the first party will be within its right to carry out the repairs and deduct the amount from the hire charges payable. The hire agreement will be terminate if the vehicle is not kept in well maintained condition by issuance of 15 days notice in advance.

by the second party.	al formalties relating to	he vehicle should be borne	and performed
14. The monthly hire charges provided as otherwise.	s will be incluseive of th	e all taxes levies, cess etc. e	cept specifically
will be mae by the first reviewed at the end of	of 2300 Kms. On or bef t party accordingly. Ho the agreement. Payme	ts/- (including all ore 15 of the following monveyer, the totalrunning of nt for the remaining mileage ate of Rs/- per K	oth and payment vehicle will be in excess (after
16. The duty hours for the driver case of emergency driver in case the driver found to drugs, penalty of Rs. 1500	can be regtained for 2 to be under influence or	from 8.00 A.M to 7.00 P.M 4 hours duty and over time liquor or any other intoxi	shall be allowed.
17. The agreement will be ell	fective from <u>/ 01-30</u>	-18, 2018 to 31 - 10:	2019
18. In consideration of payme given the Annexure "B" (the vehicle as mentioned)	he second party hereby	convenants with the first par	as per the rates ty to provide
provide the vehicle as med 20. The second party will be r	yable under the provisationed in Annexure "A" required to furnish Bank amount within 15	ion of the contacts with the on hire basis. Guarntee in the name of days of award of contract,	e first party to CBT, EPF for
21. All legal disputes are subje	ect to Delhi jurisdiction.		•
In witness were of the parties day and year first above writte		agreement to be executed i	n duplicate, the
For and on behalf of	<u>.</u>	For and on behalf Cl	3T, EPF
Signed		Signed	
Name		Name	
Adress		Address:	
Vitness:	*	Witness:	
). (